

P-1081

Total Pages : 4

Roll No.

CRTI-103/DRTI-103

Judiciary and Important Legislatures Effecting RTI
Certificate/Diploma in Right to Information (CRTI/DRTI)
1st Semester Examination, 2023 (June)

Time : 2 Hours]

Max. Marks : 100

Note : This paper is of Hundred (100) marks divided into two (02) Sections A and B. Attempt the questions contained in these sections according to the detailed instructions given therein. Candidates should limit their answer to the questions on the given answer sheet. No additional (B) answer sheet will be issued.

नोट : यह प्रश्नपत्र सौ (100) अंकों का है जो दो (02) खण्डों क तथा ख में विभाजित है। प्रत्येक खण्ड में दिए गए विस्तृत निर्देशों के अनुसार ही प्रश्नों को हल करना है। परीक्षार्थी अपने प्रश्नों के उत्तर दी गई उत्तर-पुस्तिका तक ही सीमित रखें। कोई अतिरिक्त (बी) उत्तर पुस्तिका जारी नहीं की जायेगी।

SECTION-A/(खण्ड-क)

(Long Answer Type Questions)/(दीर्घ उत्तरों वाले प्रश्न)

Note : Section 'A' contains Five (05) long answer type questions of Twenty six (26) marks each. Learners are required to answer any Two (02) questions only.

(2×26=52)

P-1081 / CRTI-103/DRTI-103

[P.T.O.]

नोट : खण्ड 'क' में पाँच (05) दीर्घ उत्तरों वाले प्रश्न दिये गये हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए छब्बीस (26) अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों को इनमें से केवल दो (02) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

1. What are the different rights given to Indian citizens relating to freedom of speech and expressing in Article 19 under the Constitution of India.

भारत में संविधान के अन्तर्गत अनुच्छेद, 19 में भारतीय नागरिकों को वाक् एवं अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता के संबंध में कौन से विभिन्न अधिकार दिए गए हैं?

2. Why freedom of press is important in democratic system? Discuss.

लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रेस की स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है? चर्चा करें।

3. On what grounds, the freedom of speech and expression can be restricted?

भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किन आधारों पर प्रतिबंधित किया जा सकता है?

4. Transparency is the basis of good governance and the first step in fighting corruption.' Explain.

पारदर्शिता सुशासन का आधार है और भ्रष्टाचार से लड़ने का पहला कदम है। व्याख्या कीजिए।

5. Explain the compliance and implementation of section 4 of the RTI Act, 2005.

आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अनुपालन और कार्यान्वयन की व्याख्या करें।

SECTION-B/(खण्ड-ख)

(Short Answer Type Questions)/(लघु उत्तरों वाले प्रश्न)

Note : Section 'B' contains Eight (08) short answer type questions of Twelve (12) marks each. Learners are required to answer any Four (04) questions only.

(4×12=48)

नोट : खण्ड 'ख' में आठ (08) लघु उत्तरों वाले प्रश्न दिये गये हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए बारह (12) अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों को इनमें से केवल चार (04) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

1. Discuss salient features of the Representation of People Act, 1951.

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए।

2. Compare definition of Records and Public Records.

रिकॉर्ड और सार्वजनिक रिकॉर्ड की परिभाषा की तलना करें।

3. Whistle Blowers Act, provides a mechanism to investigate alleged corruption and misuse of power. Discuss.

व्हिस्लर ब्लोअर्स अधिनियम, कथित भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग की जांच के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। चर्चा करें।

4. What are the objectives of Right to Information Act, 2005.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उद्देश्य क्या हैं?

5. Right to Information Act is to empower the citizens, promote transparency and accountability in the working of the Government. Discuss.

सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों को सशक्त बनाने, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए है। चर्चा करें।

6. RTI Act is applicable only to information available on record. Discuss it with the help of leading judgements of High Courts.

आरटीआई अधिनियम केवल रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना पर लागू होता है। उच्च न्यायालयों के प्रमुख निर्णयों की सहायता से इसकी चर्चा कीजिए।

7. What is the procedure prescribed under section 11 of Right to Information Act, 2005 is to be followed where the information is confidential.

जहां सूचना गोपनीय है वहां सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 11 के तहत निर्धारित प्रक्रिया क्या है?

8. Write a note on Public information officer.

लोक सूचना अधिकारी पर एक टिप्पणी लिखें।